POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.09.2025

1.थाना दनकौर पुलिस, स्वाट टीम गौ0बु0नगर, थाना ईकोटेक-1, व थाना बीटा-2 टीम के द्वारा गाजियाबाद से अपहृत शशांक गुप्ता की सकुशल बरामदगी व अपहृणकर्ताओं से पुलिस मुठभेड में 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनाँक 09/09/25 को वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अपने पोते शशांक गुप्ता को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने तथा शंशाक गुप्ता की बलेनो कार यूपी 14 डीसी 8484 यमुना एक्सप्रेस वे पर लावारिस हालत में मिलने की सूचना थाना दनकौर पुलिस को दी गयी थी। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 244/25 धारा 140(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था। अपहृणकर्ताओं के द्वारा अपहृत शशांक गुप्ता को छोडने की एवज में शशांक के परिवारिजनो से 04 करोड रूपये फिरौती की माँग की गयी थी। अपहृणकर्ताओं के द्वारा दिनाँक 14/09/25 को अपहृत शशांक गुप्ता के पिता से 04 करोड रूपये की रकम लेने के लिए थाना जेवर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामनेर रजवाहा के पास फिरौती की रकम 04 करोड रूपये देने के लिए बताया गया था।
सर्विलांस टीम व गठित पुलिस टीमों के द्वारा अपहृणकर्ताओं की घेराबन्दी की गयी तथा अपहृत शशांक गुप्ता की सकुशल बरामदगी की गयी। अपहृतकर्ताओं से अपहृत शशांक गुप्ता की बरामदगी के दौरान अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड के दौरान 02 अभियुक्तगण 1. मोहित गुप्ता पुत्र स्व0 राकेश गुप्ता ग्राम राजेपुर टप्पामंडल थाना जहांनगंज जिला फर्रुखाबाद 2. आलोक यादव पुत्र शिवसिंह यादव निवासी ग्राम उदरनपुर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज के पैर में गोली लगी तथा कॉम्बिंग के दौरान अन्य तीन अभियुक्तगण 1. निमय शर्मा पुत्र योगेश कुमार शर्मा निवासी टावर नं0 04 तीसरा तल एक्जोटिका ड्रीम विला सैक्टर 16 सी थाना बिसरख गौर सिटी 02 नोएडा 2. श्याम सुन्दर पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी मौहल्ला शास्त्री नगर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज 3. सुमित कुमार पुत्र राघवेन्द्र कुमार गांव राजेपुर टप्पामंडल थाना जहांनगंज जिला फर्रुखाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण से पूछताछ में अभियुक्त निमय शर्मा द्वारा बताया गया कि उसका टूर एण्ड ट्रैवल्स का काम है तथा अभियुक्त आलोक यादव आपस में एक दूसरे के दोस्त है तथा दोनो पर ही काफी कर्ज हो गया था । अभियुक्त निमय शर्मा उपरोक्त मनीष गुप्ता जिनका गाजियाबाद नेहरू मार्केट में टाईल्स का काम है , को पहले से जानता था क्योकि निमय शर्मा ने मनीष गुप्ता के शोरुम से दो बार टाईल्स खरीदी थी , वहीं टाईल्स की शाप पर मनीष गुप्ता के लडके शशांक को देखा था, जो देखने में सीधा साधा लगा। तभी से ही निमय शर्मा के दिमाग में शशांक गुप्ता का अपहरण कर उसको छोडने की एवज में काफी मोटी रकम प्राप्त करने की योजना बनी जिससे की सारा कर्ज उतर सकता है। निमय शर्मा द्वारा अपने दोस्त आलोक यादव को इस योजना के बारे में बताया गया

जिस पर आलोक यादव सहमत हो गया क्योकि उस पर भी काफी कर्ज था। निमय शर्मा व आलोक यादव द्वारा निशा उर्फ प्रीती को जो दोनो लोगों की दोस्त थी, को अपहरण की योजना के बारे में बताया तथा इनके द्वारा निशा उर्फ प्रीती से अपहृत शंशाक को कॉल कराकर दोस्ती करने के लिये कहा गया। योजना के मुताबिक प्रीती द्वारा अपहृत शंशाक गुप्ता को कॉल कर दोस्ती की गयी तथा घटना वाले दिन दिनांक 09.09.2025 को शंशांक को मिलने के लिये निशा उर्फ प्रीती के द्वारा मिलने के लिये बुलाया गया था। जिस पर अपहृत शंशांक प्रीती से मिलने के लिये अपनी गाड़ी बलेनो से आया था। प्रीती योजना के मुताबिक शंशांक की गाड़ी में बैठ गयी तथा दूसरी गाड़ी एक्सयूवी 3एक्सओ में आलोक यादव व निमय शर्मा द्वारा अपने साथीयों 1. मोहित गुप्ता 2. अंकित 3. सुमित को साथ लेकर शंशांक की गाड़ी के पीछे चलने लगे कुछ दूर चलने के बाद निशा उर्फ प्रीती द्वारा शंशांक से बातचीत करने का बहाना बनाकर गाड़ी को रूकवा लिया गया तभी अभियुक्त मोहित गुप्ता, अंकित, सुमित द्वारा शंशांक की गाड़ी में बैठ गये तथा निशा उर्फ प्रीती वही मौके पर उतर गयी । पूर्व योजना के मुताबिक उपरोक्त तीनो अभियुक्त शंशांक को लेकर नोएडा -ग्रेटर नोएडा होते हुये यमुना एक्सप्रेस वे पर जहाँ आलोक यादव अपनी गाड़ी को लेकर इनसे आगे निकलकर यमुना एक्सप्रेस वे पर पहले ही पहुँच गया था तथा वहाँ से अपनी गाड़ी में अपहृत शंशांक गुप्ता को बैठाकर ले गये तथा शंशांक गुप्ता की बलेनो कार को यमुना एक्सप्रेस वे पर ही छोड़ दिया । इसके बाद ये सभी लोग शंशाक गुप्ता को जनपद कन्नौज के कस्बा छिबरामऊ में मौहल्ला शास्त्री नगर निवासी श्यामसुन्दर गुप्ता जो अभियुक्त मोहित गुप्ता का मामा है , के खाली पड़े मकान में लेकर पहुँच गये तथा लगातार उसी मकान में अपहृत शंशाक गुप्ता को रखा गया तथा उसकी निगरानी में मोहित गुप्ता , अंकित , श्यामसुन्दर गुप्ता वही रहे तथा आलोक यादव व निमय शर्मा आते जाते रहे तथा आलोक यादव व निमय शर्मा द्वारा चोरी किये गये मोबाइल नम्बरो से अपहृत के पिता मनीष गुप्ता को जगह बदल बदल कर 4 करोड़ फिरौती की मांग की गयी।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 14.09.2025 को वादी मनीष गुप्ता तथा अपहरण कर्ताओं के बीच 50 लाख रूपये की डील अपहृत शंशाक को छोड़ने के एवज में तय हुई तथा डील के मुताबिक अपहरण कर्ताओं द्वारा जेवर क्षेत्र में वादी मनीष गुप्ता को रुपये लेकर बुलवाया गया तथा वही अपहृत शंशांक गुप्ता को साथ के साथ छोड़ने की बात हुई । पुलिस द्वारा सर्विलांस तथा अन्य तकनीकी संसाधनो के माध्यम से फिरौती हेतु तय जगह को चिन्हित किया गया तथा जिस मोबाइल से फिरौती माँगी जा रही थी उसकी लोकेशन रामनेर रजवाहा के नजदीक की आयी जिस पर तत्काल सभी पुलिस टीमों को अवगत कर के घेराबन्दी करके 05 नफर अभियुक्तगण को **गिरफ्तार** किया गया तथा अपहृत को सकुशल बरामद किया गया है।

पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अभियुक्तगण का विवरण--

1. 1.मोहित गुप्ता पुत्र स्व0 राकेश गुप्ता ग्राम राजेपुर टप्पामंडल थाना जहांनगंज जिला फर्रुखाबाद
2. 2.आलोक यादव पुत्र शिवसिंह यादव निवासी ग्राम उदरनपुर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. निमय शर्मा पुत्र योगेश कुमार शर्मा निवासी टावर नं0 04 तीसरा तल एक्जोटिका ड्रीम विला सैक्टर 16 सी थाना बिसरख गौर सिटी 02 नोएडा
2. श्याम सुन्दर पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी मौहल्ला शास्त्री नगर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज
3. सुमित कुमार पुत्र राघवेन्द्र कुमार गांव राजेपुर टप्पामंडल थाना जहांनगंज जिला फर्रुखाबाद

बरामदगी का विवरण--

1. 1.घटना में प्रयुक्त कार एक्सयूवी 3XO
2. 02 तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा करातूस .315 बोर।
3. फिरौती की रकम मांगने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाला मोबाइल फोन व सिम